43/15

A2/5

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – कैलाशचन्द्र शर्मा, आर.ए.एस.

आवेदनपत्र संख्या 43/2015
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. श्रीमती भगवानी आत्मजा स्व. श्री भूराराम धर्मपत्नी श्री रोशनलाल, बावरी, गांव ओड़की वर्तमान गांव सुरेशिया फतेहदीनवाला वाड नम्बर 42 तसील व जिला हनुमानगढ,
2. श्रीमती रेशमी आत्मजा स्व. श्री भूराराम धर्मपत्नी श्री सोहनलाल, बावरी, गांव ओडकी वर्तमान गांव सुरेशिया फतेहदीनवाला वाड नम्बर 42 तसील व जिला हनुमानगढ.

.....आवेदकगण

बनाम

1. नत्थूराम आत्मज श्री भूराराम, बावरी, गांव ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मृत)
   - 1.1. श्रीमती सन्तोषदेवी धर्मपत्नी श्री नत्थूराम, ओड़की,
   - 1.2. श्रीमती मीना,
   - 1.3. सोनू,
   - 1.4. पूजा,
   - 1.5. विजय आत्मजन श्री नत्थूराम, ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
2. श्रीमती पन्नीदेवी उर्फ श्रीमती पन्नीदेवी धर्मपत्नी श्री भूराराम, बावरी, ओड़की,
3. श्रीमती सन्तरो आत्मजा श्री भूराराम, बावरी, ओड़की,
4. मुख्तयारसिंह आत्मज श्री आत्मासिंह, मजहबी, चक 3 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
5. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

.......अनावेदकगण

उपस्थिति–	श्री गुरचरणसिंह	(आवेदकगण)
	श्री राजकुमार नागपाल	(अनावेदक–1–2)
	श्री ओमप्रकाश बत्तरा	(अनावेदक–4)

दिनांक 16 नवम्बर, 2016

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 2 डी बड़ी तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 35/29 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 2/1 से 9/1, किला नम्बर 12/1, 14, 15, 17/1, 18/1, 22/2, 23/1 की कुल 2.404 हैक्टर, खाता संख्या 54/86 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 1, 9/2, किला नम्बर 10 कुल 0.759 कुल 12.07 बीघा कृषि भूमि जो कालान्तर में खाता संख्या 66 में दर्ज रही है, आवेदकगण के पिता स्व. श्री भूराराम आत्मज श्री गणपतराम, बावरी, को भारत–पाक विभाजन के अवसर पुर्नवास विभाग, भारत सरकार द्वारा आवंटित की गयी. जो आज दिनांक

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

43/15

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
6

तक भी स्व. श्री भूराराम के नाम पर गैर खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 1110 के कालॅम संख्या 7 में अंकित है. श्री भूराराम की मृत्योपरान्त उसके जायज, आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 1 से 3 कुल 5, वारिसान हैं. आवेदकगण विवाहित महिलाऐं हैं. अनावेदक संख्या 3 भी विववाहित है जिसका अनुचित लाभ उठा कर अनावेदक संख्या 1 व 2 द्वारा सन् 1986 में चुपचाप मृतक श्री भूराम के वारिस अपने आप को होने का कथन करते हुऐ श्रीमान जिलाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया जो तत्कालीन जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर को दिनांक 27 सितम्बर, 1986 को भेजे जाने पर प्रकरण संख्या 52/1990 दर्ज किया जाकर आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 3 को बिना सुने ही दिनांक 11 अप्रेल, 1990 को धारा 76 डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत निर्णय पारित कर अनावेदक संख्या 1 व 2 को मृतक श्री भूराराम का वारिस घोषित कर दिया गया. उक्त आदेश गलत, एकपक्षीय तथा कूटरचित रिकार्ड बनवाकर असत्य बयान करवाये जाने से न केवल प्रारम्भ से शून्य है बल्कि आवेदकगण के अधिकारों पर प्रारम्भ से ही निष्प्रभावी हैं. अनावेदक संख्या 1 व 2 द्वारा उक्तांकित आदेश के आधार पर उप तहसीलदार, हिन्दूमलकोट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 17 मई, 1990 दर्ज करवा लिया गया जो कि आवेदकगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी है क्योंकि आवेदकगण मृतक श्री भूराराम की पुत्रियां होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस हैं. अनावेदक संख्या 1 व 2 द्वारा आदेश दिनांक 11 अप्रेल, 1990 के आधार पर गलत तौर पर खातेदारी सन्द संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेंल, 1990 जारी करवाकर अपने नाम से नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 21 मई, 1992 दर्ज करवा लिया गया इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 1210 कूटरचित रिकार्ड के आधार पर करवाये जाने के परिणामतः सन्द संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 एवं नामान्तरकरण संख्या 129 निांक 21 मई, 1992 आवेदकगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी है. आवेदकगण का अपने पिता की प्रश्नगत कृषि भूमि में 2/5 हिस्सा उनकी मृत्योपरान्त ही स्थापित हो गया. कब्जा आवेदकगण का चला आ रहा है जिसे हिस्सा ठेका पर काश्त करवाया जा रहा है. अनावेदक संख्या 1 व 2 द्वारा समस्त गलत व शून्य अभिलेखों का अनुचित लाभ उठाकर प्रश्नगत कृषि भूमि में से 3.00 बीघा का गलत तौर पर अनावेदक संख्या 4 को विकय कर दिया गया है जिसके नाम पर खाता संख्या 54/86 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 1,2/2,9/2 एवं किला नम्बर 10 कुल 0.759 हैक्टर दर्ज हो चुका है. उक्त विकय स्पष्ट तौर पर विधि विरूद्व है किन्तु अनावेदक संख्या 1 व 2 के 2/4 हिस्सा में से होने से अनावेदक संख्या 3 से 5 का 2.404 हैक्टर में से उक्त हिस्सा कम हो जाता है. आवेदकगण दिनांक 10 मई, 2015 को पटवारी हल्का से मिले तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कृषि भूमि का नामान्तरकरण होकर अनावेदक संख्या 1 व 2 के नाम पर आदेश दिनांक 11 अप्रेल, 1990 एवं सन्द संख्या 3667 के आधार पर दर्ज की जा चुकी है. आवेदकगण द्वारा अपराधिक प्रकरण के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुऐ प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है. आवेदकगण के हितों की सुरक्षा के लिये अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है. इस प्रकार आवेदकगण द्वारा चक 2 डी बड़ी तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

43/15

संख्या 35/29 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 2/1 से 9/1, किला नम्बर 12/1, 14, 15, 17/1, 18/1, 22/2, 23/1 की कुल 2.404 हैक्टर, खाता संख्या 54/86 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 1, 9/2, किला नम्बर 10 कुल 0.759 कुल 12.07 बीघा कृषि भूमि को बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने, आवेदकगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने तथा अभिलेखों की यथास्थिति कायम रखने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, नामान्तरकरण संख्या 110, नामान्तरकरण संख्या 005 (अपठनीय), सनद संख्या 3667, अपेण्डिक्स–16, अनेक्स्चर–1, अनेक्स्चर–II, अनेक्स्चर–III, नोटिस ऑफ डिमाण्ड, श्रीमान जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 52/1990 शीर्षक राज्य सरकार बनाम भूराराम में पारित निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 क चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदक संख्या 1.1 से 1.5 व 2 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. अनावेदक संख्या 3 व 4 की तलबी हेतु जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर उन्हें रूक रूक कर एवं निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उनके द्वारा उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 8 जून, 2015 द्वारा अनावेदक संख्या 3 व 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. अनावेदक संख्या 5 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

अनावेदक संख्या 1.1 से 1.5 एवं 2 की ओर से जवाब आवेदकनपत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार आवेदकगण का 2/5 हिस्सा नहीं बनता. जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 52/1990 में पूरी कानूनी प्रक्रिया अपना कर सार्वजनिक रूप से नोटिस जारी कर पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं गवाहों के बयान लेकर वारिसनामा जारी किया जाकर निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 पारित किया गया है. जो कूटरचित नहीं है व न ही झूठे बयान देकर जारी करवाया गया है. इस प्रकार आदेश दिनांक 11 अप्रेल, 1990 प्रारम्भ से शून्य न होकर पूर्ण रूप से प्रभावशाली है. इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 17 मई, 1990, जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990, नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 21 मई, 1992 कानूनन प्रभावशाली होने के कारण आवेदकगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी नहीं है. आवेदकगण का कोई हिस्सा नहीं है व न ही उनका कभी कब्जा ही रहा है व न ही हिस्सा ठेका पर काश्त करवायी जा रही है. अन्य वजूहात में अंकित किया गया कि अनावेदकगण वर्णित कृषि भूमि के खातेदार है जिनके नाम पर राजस्व अभिलेखों में बतौर खातेदार कृषि भूमि दर्ज है तथा विधि अनुसार खातेदार के विरूद्व स्थायी अथवा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नी की जा सकती. वर्णित कृषि भूमि पर आवेदकगण का कभी कब्जा नहीं रहा है तथा कब्जा के अभाव में विचाराधीन वाद प्रस्तुत नही किया जा सकता. इस प्रकार आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

43/15
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
8

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं कमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

सनद संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990, नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 21 मई, 1992 के आधार पर अनावेदकगण प्रश्नगत कृषि भूमि के अभिलेखीय खातेदार हैं इसके साथ ही जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 52/1990 में पारित निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 के विरूद्व आवेदकगण द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त करवाने की कार्यवाही की गयी हो, की बाबत किसी भी प्रकार के अभिकथन अथवा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये हैं. तथा माननीय राजस्व मण्डल एवं राज. उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार अभिलेखीय खातेदार के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती. ऐसी स्थिति में, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति का बिन्दु आवेदकगण के पक्ष में सिद्व नहीं होता है.

अतः आवेदनपत्र अस्वीकार किया जाता है.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 16 नवम्बर, 2016 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर